

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मोहन पिता खुमा रेगर निवासी मानपुरा

बनाम

कैलाश पिता अमरा रेगर निवासी मानपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 95/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मानपुरा प.ह. खजूरी आराजी सं. 102, 103, 104, 202/3, 211, 213 कुल कित्ता 06 रकबा 1.4327 हेक्टेयर पर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वणित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है   ग्राम मानपुरा प.ह. खजूरी आराजी सं. 102, 103, 104, 202/3, 211, 213 कुल कित्ता 06 रकबा 1.4327 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/95/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 95 / 2024 अनवान मोहन पिता खुमा रेगर निवासी मानपुरा बनाम कैलाश पिता अमरा रेगर निवासी मानपुरा, कालु पिता अमरा रेगर निवासी मानपुरा, फोरू पिता रूपा रेगर निवासी मानपुरा, गोपी पिता रूपा रेगर निवासी मानपुरा, लादू पिता भुवाना रेगर निवासी मानपुरा, जयराम पिता घीसा रेगर निवासी मानपुरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम मानपुरा प.ह. खजूरी आराजी सं. 102, 103, 104, 202/3, 211, 213 कल कित्ता 06 रकबा 1.4327 हेक्टेयर व भूमि की उभयपक्षी की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा